84

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

(म0प्र0)

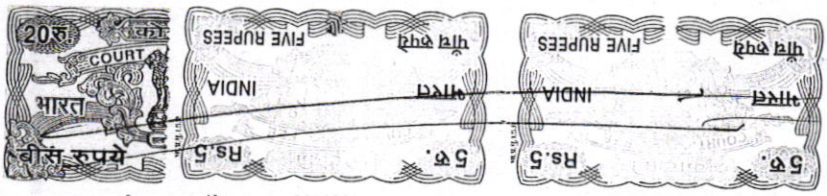

III/निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/0984

अनन्त प्रसाद तनय स्व0श्री रामकृपाल ब्राम्हण उम्र 80 वर्ष, पेशा– कृषिकार्य, निवासी ग्राम– खारा सलैया, तहसील – जवा, जिला –रीवा (म0प्र0)

..... आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

नारायणदास तनय श्री रमाकान्त ब्राम्हण उम्र 70 वर्ष पेशा– कृषिकार्य, निवासी ग्राम– सलैया कला, तहसील– जवा, जिला– रीवा (म0प्र0)

.....अनावेदक/गैर पुनरीक्षगणकर्ता

पुनरीक्षण आवेदन –पत्र विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) द्वारा प्रकरण कमांक– 166/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 02.02.18

पुनरीक्षण आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता सन् 1959 ई0,

---

मान्यवर,

पुनरीक्षणीय प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैः–

A- ग्राम– सलैया खारा, तहसील –जवा, जिला –रीवा (म0प्र0) अन्तर्गत स्थित मूल आराजी खसरा कमांक– 229/346

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/984

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6/4/18	शीघ्र सुनवाई हेतु प्रस्तुत आवेदन के कम में आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की प्रचलनशीलता पर सुना जा चुका है। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 166/16–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 2–2–18 के विरूद्व म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को एंव प्रस्तुत अभिलेख पर विचार करने पर प्रकरण की स्थिति यह है कि तहसीलदार जवा के प्रकरण कमांक 105 अ–6–अ/12–12 में पारित आदेश दिनांक 30–4–13 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी जवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी जवा ने प्रकरण कमांक 54 अ–6/13–14 में पारित आदेश दिनांक 21–10–06 से अपील निरस्त कर दी, जिसके विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग ने प्रकरण कमांक 166/16–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 2–2–18 से अनुविभागीय अधिकारी एंव तहसीलदार के आदेशों को निरस्त कर दिया है तथा निर्णीत किया है कि जब राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 385–तीन/2015 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23–5–2016 में यह आदेश हुये है कि निगरानीकर्ता प्रकरण में विचारित भूमि से हितबद्व है , अनुविभागीय अधिकारी को उसे हितबद्व मानकर प्रकरण का निराकरण करना चाहिये। इसी आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने तहसीलदार जवा के आदेश दिनांक 30–4–13 एंव	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/984

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अनुविभागीय अधिकारी जवा के आदेश दिनांक 21–10–06 को निरस्त करते हुये प्रकरण **Speaking Order** पारित करने के लिये वापिस किया है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 2–2–18 के कम में दोनों पक्षों को विचारण न्यायालय में पक्ष प्रस्तुत करने, लेखी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 166/16–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 2–2–18 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। 3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 166/16–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 2–2–18 उचित होने से यथावत् रखते हुये निगरानी इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है। सदस्य	